भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 335
बुधवार, 6 दिसंबर, 2023 (15 अग्रहायण, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

एनसीडीसी द्वारा प्रायोजित योजना

335 **श्री नरहरी अमीनः**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का उद्देश्य क्या है; और

(ख) एनसीडीसी द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने और फसल कटाई के बाद की सुविधाएं स्थापित करने के लिए किसान सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, मजबूत करना और विकसित करना है।निगम का ध्यान कृषि विपणन और इनपुट, प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड चेन और कृषि उपज के विपणन और बीज, उर्वरक और अन्य कृषि इनपुट आदि की आपूर्ति के कार्यक्रमों पर है। गैर-कृषि क्षेत्र में, निगम आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों को सुविधाओं से लैस करने का प्रयास करता है, जिसमें डेयरी, पशुधन, हथकरघा, रेशम उत्पादन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला सहकारी समितियों जैसे कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ख): एनसीडीसी द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है:

(अ) <u>कार्यान्वित योजनाएँ</u>:

I. एनसीडीसी प्रायोजित योजनाएं

क) युवा सहकार - सहकारी उद्यम सहायता और नवाचार योजना: इस योजना का उद्देश्य नए और/या नवीन विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। यह एनसीडीसी द्वारा बनाए गए सहकारी स्टार्ट-अप और इनोवेशन फंड से जुड़ा है।

ख) आयुष्मान सहकार: इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को कवर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है।

ग) नंदिनी सहकार: इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता गतिशीलता का समर्थन करना है। यह महिलाओं के उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण और सब्सिडी और/या अन्य योजनाओं की ब्याज छूट के महत्वपूर्ण इनपुट को एकत्रित करेगा।

घ) डेयरी सहकार: यह ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) से जुड़ी गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता का एक सहकारी डेयरी व्यवसाय केंद्रित ढांचा है। इसमें नई परियोजनाओं के लिए सहकारी समितियों द्वारा बुनियादी ढांचे का निर्माण और मौजूदा परियोजनाओं का आधुनिकीकरण और/या विस्तार शामिल है।

ङ) डिजिटल सहकार: डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के अनुरूप, एनसीडीसी ने डिजिटल रूप से सशक्त सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी द्वारा सहायता और क्रेडिट लिंकेज के लिए एक केंद्रित वित्तीय सहायता ढांचे की कल्पना की है, जो भारत सरकार / राज्य / केंद्रशासित प्रदेश से अनुदान, सब्सिडी, प्रोत्साहन आदि के साथ मेल खाता है। / सहकारी समितियों के उद्देश्य वाली एजेंसियां डिजिटल इंडिया में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।

च) स्वयं शक्ति सहकार योजना: महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करने की नई योजना।

छ) दीर्घकालिक कृषक पूंजी सहकार योजना: एनसीडीसी के दायरे में आने वाली गतिविधियों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम देने के लिए एनसीडीसी की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की नई योजना।

II. एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य केंद्रीय योजनाएँ:

क) **कृषि अवसंरचना निधि योजना**–कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

ख) **भंडारण और भंडारण बुनियादी ढांचे के अलावा अन्य के लिए कृषि विपणन पर केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना (सीएसआईएसएएम) की कृषि विपणन बुनियादी ढांचा (एएमआई) उप योजना**

ग) **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)** - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

घ) **पीएम मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)** - मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

ङ) **पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) का औपचारिकीकरण** - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

च) **पीएम '10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन' योजना** - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

छ) **मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) योजना** - मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।

(ब) <u>एनसीडीसी द्वारा सहायता प्राप्त अन्य कार्यकलाप</u>:

क) विपणन:

- मार्जिन मनी / कार्यशील पूंजी सहायता
- प्राथमिक/जिला सहकारी विपणन समितियों के अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण
- फर्नीचर, फिक्सचर, प्रशीतित वैनों समेत परिवहन वाहनों की खरीद
- कृषि विपणन संरचना, ग्रेडिंग तथा मानकीकरण का विकास / सुदृढ़ीकरण

ख) प्रसंस्करण :

- नये चीनी कारखानों की स्थापना (निवेश ऋण)
- वर्तमान चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण तथा विस्तारण/विविधीकरण (निवेश ऋण तथा आवधिक ऋण)
- नई कताई मिलों की स्थापना / वर्तमान कताई मिलों का आधुनिकीकरण/विस्तारण/पुर्नस्थापना
- वर्तमान कपास जिन्निंग एवं प्रेसिंग इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तारण तथा आधुनिक कपास जिन्निंग एवं प्रेसिंग इकाइयों की स्थापना
- लघु एवं मध्यम आकार की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक प्रसंस्करण इकाइयाँ/प्रि/पोस्ट लूम प्रसंस्करण / गार्मेंट एवं बुनाई इकाइयों।
- खाद्यान्न/तिलहन/बागानी फसलें / फल एवं सब्जी / मक्का स्टार्च/पार्टिकल बोर्ड आदि जैसी अन्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।
- मार्जिन-मनी/कार्यशील पूंजी सहायता।
- नई कताई मिलों में राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी सहभागिता

ग) भंडारण :

- गोदामों का निर्माण तथा वर्तमान गोदामों की मरम्मत / नवीकरण
- मार्जिन-मनी / कार्यशील पूंजी सहायता।

घ) शीत श्रृंखला :

- शीत भंडारों का निर्माण/विस्तारण/आधुनिकीकरण
- शीत श्रृंखला के अवयवों की स्थापना जिसमें मुख्यतः शामिल हैं (i) एकीकृत पैक हाउस, (ii) परिवहन से संबंधित (iii) शीत भंडारण (फार्म गेट के पास थोक रूप में) (iv) शीत भंडारण (बाजार के पास हब रूप में) और (v) राइपनिंग यूनिट (पकाने के लिए इकाईयां / सामग्री) इत्यादि ।
- मार्जिन -मनी/कार्यशील पूंजी सहायता।

ङ) सहकारिताओं के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण:

- संरचनाओं जैसे शॉपिंग केन्द्रों, डीजल / केरोसिन बंक एवं भंडारों तथा थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों, विभागीय उपभोक्ता भंडारों एवं उपभोक्ता संघों का नव निर्माण/विस्तारण/आधुनिकीकरण ।
- उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु फर्नीचर फिक्सचर, प्रशीतित वाहनों समेत यातायात वाहनों की खरीद ।
- मार्जिन-मनी/कार्यशील पूंजी सहायता।

च) औद्योगिक

- सभी प्रकार की औद्योगिक सहकारिताएं, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प/ग्रामीण शिल्प आदि।

छ) ऋण एवं सेवा सहकारिताएं / अधिसूचित सेवाएं:

- कृषि ऋण/कृषि बीमा
- जल संरक्षण कार्य / सेवाएं
- ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई
- पशु देखभाल / स्वास्थ्य, बीमारी की रोकथाम।
- सहकारिताओं के जरिए ग्रामीण स्वच्छता, जल निकासी, मल-जल व्ययन।
- पर्यटन, आतिथ्य, यातायात
- नये, गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत का उत्पादन एवं वितरण।
- ग्रामीण आवास
- अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा
- ऋण सहकारी समितियों के लिए संरचना का सजून

ज) सहकारी बैंकिंग इकाई:

- आधुनिक बैंकिंग इकाईयों से संबंधित संरचना निर्माण के लिए पैक्स को सहायता

झ) कृषिक सेवाएं:

- सहकारी कृषक सेवा केन्द्र
- कस्टम हायरिंग हेतु कृषि सेवा केन्द्र।
- कृषिक निवेश, विनिर्माण एवं संबद्ध इकाइयों की स्थापना।
- सिंचाई / जल संग्रहण कार्यक्रम।

ञ) जिला योजना स्कीमें :

- चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं

ट) कमजोर वर्गों की सहकारिताएं:

- मात्स्यिकी, डेयरी एवं पशुधन, कुक्कुटपालन, अनु० जा०, जन जातीय सहकारिताएं, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीटपालन, महिला, पर्वतीय क्षेत्र, तंबाकू तथा श्रम सहकारिताए।

ठ) सहकारिताओं के कंप्यूटरीकरण हेतु सहायता :

- कंप्यूटरों की खरीद/संस्थापना, हार्डवेयर, सिस्टम व सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, अनुरक्षण लागत, तकनीकी जन शक्ति, विकासात्मक क्षमता एवं प्रशिक्षण आदि हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

ड) संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रम :

- अध्ययन / परियोजना रिपोर्ट, प्रबंधन अध्ययन हेतु परामर्शन
- बाजार सर्वेक्षण एवं कार्यक्रमों आदि का मूल्यांकन।

संचयी रूप से, एनसीडीसी ने अपनी स्थापना से लेकर 20.11.2023 तक ₹2,87,712.45 करोड़ का वितरण किया है। एनसीडीसी का संवितरण 2014-15 में ₹5,736 करोड़ से लगातार बढ़कर 2022-23 में ₹41,031 करोड़ हो गया है। इसके साथ, एनसीडीसी ने 2014-15 से वित्तीय सहायता के वितरण में लगभग 28% औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹50,000 करोड़ के अपेक्षित संवितरण की परिकल्पना की गई है।

*****